का0आ0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-01/2019...........दिनांक-

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-2305(भ) दिनांक-24.12.2018 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि गोपालगंज जिलान्तर्गत उच्चकागाँव प्रखंड में संदृशोभ मंडप के निर्माण कार्य के एकरारनामा की अवधि बीत जाने के बाद भी संवेदक एजाजुल हक खान, ग्राम-खान बैरिया, पो0-जगरनाथा, थाना-उच्चकागाँव, जिला-गोपालगंज(बिहार) द्वारा केवल नींव की कटाई एवं सोलींग का कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप संवेदक को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक-1017 दिनांक-24.08.18. द्वारा डीबार कर दिया गया। इसके उपरांत भी संवेदक के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-2305अनु0 दिनांक-24.2.18 द्वारा संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर दिनांक-07.01.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबधी बैठक में समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-1333(भ) दिनांक-05.02.2019 द्वारा संवेदक से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-2464(भ) दिनांक-05.03.2019 एवं पत्रांक-3546(भ) दिनांक-03.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु संवेदक को स्मारित किया गया।

संवेदक एजाजुल हक खान, ग्राम-खान बैरिया, पो0-जगरनाथा, थाना-उच्चकागाँव, जिला-गोपालगंज(बिहार) द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज को एक आवेदन पत्र शपथ-पत्र के साथ दिया गया कि वे जुलाई 2019 तक कार्य पूर्ण कर लेंगे, परन्तु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

दिनांक-20.01.2020 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबधी बैठक में समिति द्वारा संवेदक एजाजुल हक खान, ग्राम-खान बैरिया, पो0-जगरनाथा, थाना-उच्चकागाँव, जिला-गोपालगंज(बिहार) के निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

समिति के उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक एजाजुल हक खान, ग्राम-खान बैरिया, पो0-जगरनाथा, थाना-उच्चकागाँव, जिला-गोपालगंज(बिहार) के निबंधन सं0-व्यक्तिगत-86(भ)/2016 को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह0/

(कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-01/2019......... पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-संवेदक एजाजुल हक खान, ग्राम-खान बैरिया, पो0-जगरनाथा, थाना-उच्चकागाँव, जिला-गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-01/2019 2489(अ) पटना,दिनांक- 20.3.2020

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव